न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील प्र.सं. 54/2023 जीसीएमएस नं. : 2023/306 ब्रहमदास बनाम रणीया आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

उपस्थिति :–

1. श्री रमन चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 10/2,10/3,10/5,10/6

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो कि उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में दिनांक 11.01.2013 को दायर की गयी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.07.2019 के द्वारा अपीलार्थी को अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाए जाने के आदेश पारित किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/19/66 दिनांक 23.07.2019 के साथ मूल अपील अपीलार्थी को प्रेषित की गयी। इसके उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मूल अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व दस्तावेजों के पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। पूर्ववर्ती न्यायालय के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज(39/2019) की गयी। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से पत्रावली हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 20.12.2012 जिसके द्वारा तहसील अनूपगढ़ के चक 5–के मु.नं. 198/41 की 25 बीघा भूमि का बंटवारा अपीलांट व रेस्पोंडेंट के मध्य कर इन्तकाल सं. 120 स्वीकार किया हैं को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष पक्षकारान के मध्य राज. काश्त. अधि. की धारा 53,88,183 का वाद विचाराधीन था जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2007 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज इंतकाल को निरस्त कर वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर इंतकाल दर्ज करते हुए कब्जा भूमि दिलाये जाने के आदेश दिए और इसी अनुसार आरम्भिक डिक्री जारी की गई और विभाजन प्रस्ताव का इंतजार हेतु आगामी पेशी 30.04.2007 निश्चित की गई। उपखण्ड अधिकारी के आदेश विरूद्ध मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील पेश करने पर स्थगन आदेश अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा डिक्री दिनांक 30.03.2007 की पालना में इन्तकाल सं. 120 दर्ज कर तस्दीक हेतु पेश किया गया लेकिन स्थगन आदेश होने के कारण इन्तकाल पेंडिग छोड़ दिया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2012 के द्वारा अपील निरस्त कर दी गयी। जिस कारण पूर्व में दर्ज इन्तकाल सं. 120 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील प्र.सं. 54/2023 जीसीएमएस नं. : 2023/306 ब्रहमदास बनाम रणीया आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम

के द्वारा दिनांक 20.12.2012 को तस्दीक कर दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ तथा न्ययालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील जैरकार हैं। तहसीलदार अनूपगढ द्वारा इन्तकाल सं. 120 स्वीकार किये जाने का आदेश विद्धि विरूद्ध हैं। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आरम्भिक डिक्री था जिसकी पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाना था परन्तु उनके द्वारा स्वयं ही विभाजन करते हुए विवादित भूमि का बंटवारा कर इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जो कानूनी रूप से गलत हैं को निरस्त करने के लिए निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं विधिसम्मत हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं। यदि अपीलार्थी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से संतुष्ट नहीं हैं तो अपीलीय न्यायालयों में मूल डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकते थे। नामान्तरण संक्षिप्त प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा खातेदारी अधिकारों का निश्चय नहीं होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मा. न्यायालय के आदेशों की पालना में पारित किया गया हैं। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 11.01.2013 को प्रस्तुत की गयी थी व आलौच्य आदेश दिनांक 20.12.2012 का है, अपील अन्दर मियाद पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी थी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2007 को डिक्री जारी कर आदेश पारित किया गया हैं कि "तनकीवार विवेचन से वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहते हैं। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के डिक्री किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 के नाम हुए इन्तकाल को निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि मृतक बेली राम के समस्त वारिसों में भूमि का युक्तियुक्त तौर पर बंटवारा किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एवं कब्जा हिस्सा अनुसार दिलवाया जावे। उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती हैं।" अपीलाधीन इन्तकाल सं. 120 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर नामान्तरण पत्र के कॉलम सं. 14 में अंकित किया हैं कि "डिग्री उपजिला कलेक्टर अनूपगढ़ निर्णय दिनांक 30.03.2007 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88–53–183 मु.नं. 99/1998 आरएएस महेन्द्र लोढ़ा मुताबिक निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर 13.12.2012 व अन्तिम डिग्री 17.03.2008 व आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील प्र.सं. 54/2023 जीसीएमएस नं. : 2023/306 ब्रहमदास बनाम रणीया आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम
	श्रीमान् तहसीलदार अनूपगढ़ क्रमांक/भू.अ./08/684 दिनांक 25.03.2008 जो कि चस्पा है।" कॉलम सं. 16 में अंकित हैं कि "सेवा में निवेदन हैं कि मुताबिक डिग्री दिनांक 30.03.2007 व अन्तिम डिग्री व आदेश श्रीमान तहसीलीदार के विभाजन का नामान्तकरण दर्ज कर बाद जांच निशार्य हेतु पेश है आदेव व प्रथम व अन्तिम डिग्री चस्पा है।"तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 20.12.2012 को स्वीकृत किया गया हैं। अतः उक्त नामान्तरण सं. 120 का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि नामान्तरण न्यायालय आदेश की पालना में पारित किया गया हैं साथ ही नामान्तरण में अन्तिम डिक्री दिनांक 17.03.2008 का भी उल्लेख हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह अभिकथन किया गया हैं कि उनके द्वारा डिक्री के विरूद्ध अपील दायर की गयी जो कि राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा खारिज कर देने के पश्चात प्रकरण मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीदार द्वारा आलौच्य नामान्तरण स्वीकृति आदेश न्यायालय आदेश की पालना में पारित किया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अपील खारिज योग्य हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)